मध्य प्रदेश सविलि सेवा अवकाश नियिम 2025

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने **मध्य प्रदेश सविलि सेवा (अवकाश) नियिम, 2025** को मंज़ूरी दे दी है, जिसिमें कई आधुनकि प्रावधान शामलि कयि गए हैं।

मुख्य बदिु

- **सविलि सेवा अवकाश नियिम 2025 के बारे में:**
  - नए **अवकाश नियिम** केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप हैं और वर्ष **1977 के नियिमों का स्थान लेंगे**।
  - उल्लेखनीय परविर्तनों में शामलि हैं:
  - **सार्वजनकि मातृत्व अवकाश अब सरोगेट माताओं के लयि भी उपलब्ध होगा।**
  - **पितृत्व अवकाश** गोद लेने वाले पिता के लयि 15 दनि का होगा।
  - **बाल देखभाल अवकाश** अब एकल पुरुष कर्मचारियों तक भी वसि्तारति कयिा गया है।
  - गंभीर रूप से बीमार और वशिष क्षमता वाले कर्मचारियों के लयि **अवकाश आवेदन प्रक्रयिा** को सरल बनाया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mps-civil-services-leave-rules-2025